सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

गुलाराम बनाम परतुदेवी

किस्म मुकदमा– धारा 225 आरटीए नम्बर 35/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.19	अभिभाषक अपीलांट श्री दिनेश गहलोत उपस्थित। अपील बाद जॉच, रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि ग्राम उडसर के खसरा नम्बर 293 रकबा 3.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 306 रकबा 5.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 535/461 रकबा 2.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 595/305 रकबा 1.24 हेक्टर कुल किता 5 रकबा 12.88 हेक्टर एवं ग्राम कुरजड़ी स्थित खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 5.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 343/222 रकबा 0.30 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 5.90 हेक्टर भूमि अपीलांट अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खाते की भूमि है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दोनों ग्रामों की भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम कुरजडी के खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 5.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 343/222 रकबा 0.30 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 5.90 हेक्टर के बाबत् तो अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई, परन्तु ग्राम उडसर के खेत खसरा नम्बर के बाबत् उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। जबकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते की भूमि होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में यदि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर अपील की पालना स्थगित फरमाते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये जावे। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना गया तथा अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05–07–2019 को रेसपोडेन्ट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर एकतरफा सुनवाई करते हुए वादग्रस्त भूमि ग्राम कुरजड़ी के खेत खसरा नम्बर 221 तादादी 5.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 342/222 तादादी 0.30 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 5.90 हेक्टर भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 09–08–2019 नियत की गई है। जबकि अपीलांट् द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम उडसर व ग्राम कुरजडी की संयुक्त खाते की भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम कुरजडी की भूमि के बाबत् तो अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई, परन्तु ग्राम उडसर के खेत खसरा नम्बर 293 रकबा 3.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 306 रकबा 5.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 535/461 रकबा 2.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 595/305 रकबा 1.24 हेक्टर कुल किता 5 रकबा 12.88 हेक्टर के बाबत् किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। जबकि प्रार्थना पत्र में तमाम भूमि का अंकन किया गया था। पक्षकारों के मध्य आगामी दिनांक तक किसी प्रकार की कोई अनावश्यक पेचिदगियॉ व तनाव उत्पन्न नहीं होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार प्रकरण बउनवानी गुलाराम बनाम परतुदेवी में निश्चित आगामी तारीख पेशी 09–08–2019 तक ग्राम कुरजड़ी की भूमि के साथ–साथ ग्राम उडसर की सहखातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 293 रकबा 3.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 306 रकबा 5.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 535/461 रकबा 2.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 595/305 रकबा 1.24 हेक्टर कुल किता 5 रकबा 12.88 हेक्टर के रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। उक्त तिथि को उपखण्ड अधिकारी अपीलांट् की सम्पूर्ण दरखवाश्त पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल दरखवाश्त पर अंतिम निर्णय तक उक्त निषेधाज्ञा कायम रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

राजस्व अपील अधिकारी
(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner